डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– श्री अमन चौधरी आर.ए.एस

उनवान

1. मानसिंह पुत्र सुरज्ञान (मृतक)
1/1 धर्मो पत्नि स्व0 मानसिंह
1/2 बिजेन्द्र पुत्र मानसिंह
1/3 राजेन्द्र पुत्र मानसिंह
1/4 लाखन पुत्र मानसिह
2. जगराम पुत्र सुरज्ञान (मृतक)
2/1 भगवान सिंह पुत्र जगराम
2/2 जनकसिंह पुत्र जगराम
2/3 नरसी पुत्र जगराम
3. बलवीर पुत्र मनभान
4. कल्याण पुत्र मनभान (मृतक)
4/1 सुमनपुत्री कल्याण
4/2 रामनिरी पुत्री कल्याण
4/3 नीलम पुत्री कल्याण
4/4 रूमाली बेवा कल्याण (मृतक)

समस्त जाति गुर्जर निवासी बौल तहसील टोडाभीम जिला करौली

—— वादीगण

बनाम

1.साहब सिंह पुत्र हरिसिंह (मृतक)
1/1 कमला देवी बेवा साहबसिंह
1/2 भागसिह, 1/3 मनोज — पिसरान साहबसिह
1/4 कमलेश, 1/5 महेश, 1/6 मुनेश — पुत्रियाँ साहबसिंह
2. रामराज पुत्र हरिसिंह
3. मुरारी पुत्र हरिसिंह
4. रूपी पत्नि हरिसिंह (मृतक)
5. मुकेश पुत्र सिया
6. सुरेश पुत्र सिया
7. चतर सिंह पुत्र सिया
8. अतर सिंह पुत्र सिया
9. हरपति पत्नि स्व0 सिया

समस्त जाति गुर्जर निवासी बौल तहसील टोडाभीम जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

10. झमोली पुत्र जगन (मृतक) लाऔलाद
11.कश्मीरा पुत्री बुद्धि (मृतक)

11/1 अनीता पुत्री कश्मीरा पत्नि सुग्रीव 11/2 विनीता पुत्री कश्मीरा पत्नि सुग्रीव 11/3 हेमा पुत्री कश्मीरा पत्नि सुग्रीव 11/4 भूरो पुत्री कश्मीरा पत्नि सुग्रीव	समस्त जाति गुर्जर निवासी बौल तहसील टोडाभीम जिला करौली

12. पत्ता पुत्री बुद्धि
13. ब्राह्म बाई पुत्री हरिसिंह पत्नि हंसा
14. सुरेश बाई पुत्री हरिसिंह पत्नि हरस्वरूप
समस्त जाति गुर्जर निवासी छीतर की झोपडी तहसील करौली जिला करौली (राज0)
15. मुकेश पुत्री हरिसिंह पत्नि महेन्द्र जाति गुर्जर निवासी गुडला पाडली तहसील करौली जिला करौली (राज0)
16. कैलाशी पुत्री सिया पत्नि अमर सिंह
17. गुड्डी पुत्री सिया पत्नि अमर सिंह
समस्त जाति गुर्जर निवासी कसाने का नंगला तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली (राज0)
18. तहसीलदार (सबरजिस्ट्रार) टोडाभीम जिला करौली (राज0)

——— प्रतिवादीगण

दावा बावत घोषणा खातेदारी, व स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0:— 54/2010

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व ग्राम बौंल की आराजीयात मे निम्नानुसार डिक्री दी जाती है कि ग्राम बौल तहसील में स्थित आराजी भूमि ख०नं० 1626 रकवा 0.33है०, 1627 रकवा 0.15है०, 1671 रकवा 0.13 है०, 1672 रकवा 0.07 है०, 1675 रकवा 0.18 है०, 1676 रकवा 0.18 है०, 1738 रकवा 0.16 है०, 1739 रकवा 0.17 है०, 1740 रकवा 0.19 है०, 1743 रकवा 0.19 है०, 1744 रकवा 0.31 है०, 1746 रकवा 0.31 है०, 1747 रकवा 0.32 है०, 2184 रकवा 0.12 है०, 2189 रकवा 0.10 है० कुल किता 15 कुल रकवा 2.91 है० में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 17 के नाम दर्ज खातेदारी को हजफ करने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त आराजीयात में वादी नम्बर 1/1 से 1/4 को हिस्सा 1/3 का, वादी नम्बर 2/1 से 2/3 को हिस्सा 1/3 का एवं वादी नम्बर 3 को 1/6 हिस्से का तथा वादी नम्बर 4/1 ता 4/4 को हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत न तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे।

निज.....................मुबलिंग.............................बाबत...........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.1.26 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उपजिला कलेक्टर,टोडाभीम करौली (राज0)

मु0नं0 :– **54/2010**

तारीख रजू :–**23.06.2010**

पीठासन अधिकारी – अमन चौधरी आर.ए.एस

1. मानसिंह पुत्र सुरज्ञान (मृतक)
1/1 धर्मो पत्नि स्व0 मानसिंह
1/2 बिजेन्द्र पुत्र मानसिंह
1/3 राजेन्द्र पुत्र मानसिंह
1/4 लाखन पुत्र मानसिह
2. जगराम पुत्र सुरज्ञान (मृतक)
2/1 भगवान सिंह पुत्र जगराम
2/2 जनकसिंह पुत्र जगराम
2/3 नरसी पुत्र जगराम
3. बलवीर पुत्र मनभान
4. कल्याण पुत्र मनभान (मृतक)
4/1 सुमनपुत्री कल्याण
4/2 रामनिरी पुत्री कल्याण
4/3 नीलम पुत्री कल्याण
4/4 रूमाली बेवा कल्याण (मृतक)

समस्त जाति गुर्जर
निवासी बौल तहसील
टोडाभीम जिला करौली

––– वादीगण

बनाम

1.साहब सिंह पुत्र हरिसिंह (मृतक)
1/1 कमला देवी बेवा साहबसिंह
1/2 भागसिह } पिसरान
1/3 मनोज } साहबसिह
1/4 कमलेश } पुत्रियॉ
1/5 महेश } साहबसिंह
1/6 मुनेश }
2. रामराज पुत्र हरिसिंह
3. मुरारी पुत्र हरिसिंह
4. रूपी पत्नि हरिसिंह (मृतक)
5. मुकेश पुत्र सिया
6. सुरेश पुत्र सिया
7. चतर सिंह पुत्र सिया
8. अतर सिंह पुत्र सिया
9. हरपति पत्नि स्व0 सिया
10. झमोली पुत्र जगन (मृतक) लाऔलाद

समस्त जाति गुर्जर
निवासी बौल तहसील
टोडाभीम जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

11/1 अनीता पुत्री कश्मीरा पत्नि सुग्रीव
11/2 विनीता पुत्री कश्मीरा पत्नि सुग्रीव
11/3 हेमा पुत्री कश्मीरा पत्नि सुग्रीव
11/4 भूरो पुत्री कश्मीरा पत्नि सुग्रीव

समस्त जाति गुर्जर निवासी बौल तहसील टोडाभीम जिला करौली

12. पत्ता पुत्री बुद्धि
13. ब्राह्म बाई पुत्री हरिसिंह पत्नि हंसा
14. सुरेश बाई पुत्री हरिसिंह पत्नि हरस्वरूप
    समस्त जाति गुर्जर निवासी छीतर की झोपडी तहसील करौली जिला करौली (राज0)
15. मुकेश पुत्री हरिसिंह पत्नि महेन्द्र जाति गुर्जर निवासी गुडला पाडली तहसील करौली जिला करौली (राज0)
16. कैलाशी पुत्री सिया पत्नि अमर सिंह
17. गुड्डी पुत्री सिया पत्नि अमर सिंह
    समस्त जाति गुर्जर निवासी कसाने का नंगला तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली (राज0)
18. तहसीलदार (सबरजिस्ट्रार) टोडाभीम जिला करौली (राज0)

––– प्रतिवादीगण

<u>दावा बावत इस्तकरारह, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

उपस्थिति :– श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (वादीगण)
प्रतिववादीगण की तरफ से कोई उपस्थिति नहीं

<u>निर्णय</u>

मु0नं0 54/2010 दिनांक 06.02.2026

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बौल में स्थित आराजीययात ख0नं0 1626/0.33, 1627/0.15, 1671/0.13, 1672/0.07, 1675/0.18, 1676/0.18, 1738/0.16, 1739/0.17, 1740/0.19, 1743/0.19, 1744/0.31, 1746/0.31, 1747/0.32, 2184/0.12, 2189/0.10 कुल किता 15 कुल रकवा 2.91 है0 की खातेदारी प्रतिवादीगण व उनके पिता के नाम दर्ज हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सजरा निम्न प्रकार है।

<u>सजरा वादीगण</u>

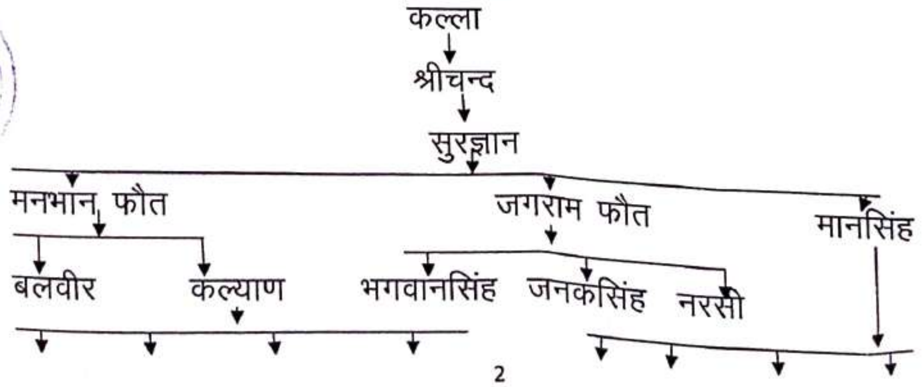

उपखण्ड अधिकारी ... कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

सुमन रामनिरी नीलम रूमाली(फौत) धर्मो बिजेन्द्र राजेन्द्र लाखन

सजरा प्रतिवादीगण

जयनारायण

जगन

बुद्धि हरिसिंह सिया झमोली

कश्मीरा पत्ता साहबसिंह रामराज मुरारी रूपी लाऔलाद फोत

अनीता विनीता हेमा भूरो मुकेश सुरेश चतरसिंह अतरसिंह हरपति

वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। वादीगण नम्बर 1 व 2 को अपने पिता व वादीगण नम्बर 3 व 4 को बाबा सुरज्ञान सिंह पुत्र श्रीचन्द से विरासत में मिली हैं जिससे प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं हैं। वादीगण के बुजुर्ग सुरज्ञान के तीन पुत्र मनभान, जगराम व मानसिंह है जिनमें मानसिंह की मृत्यु हो चुकी है। उनके दो पुत्र वादी नम्बर 3 व 4 बलवीर व कल्याण है। वाद पत्र में वर्णित आराजीयात की खातेदारी सुरज्ञान पुत्र श्रीचन्द के नाम थी। लेकिन सेटिलमेन्ट कर्मचारीयों ने जानबूझकर प्रतिवादीगण से मिलकर प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 के पिता प्रतिवादी नम्बर 4 के पति हरिसिंह को तथा प्रतिवादी नम्बर 5 ता 8 के पिता व प्रतिवादी नम्बर 9 के पति सिया को तथा प्रतिवादी नम्बर 10 के पिता झमोली तथा प्रतिवादी नम्बर 11 व 12 के पिता बुद्धि को सुरज्ञान पुत्र श्रीचन्द को वारिस बनाकर खातेदारी गलत रूप से हरिसिंह, सिया, झमोली पि0 सुरज्ञान के नाम दर्ज कर दी। जबकि इनके पिता जगन है। उक्त आराजी की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज कर देने के कारण वादीगण को यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण अशिक्षित ग्रामीण आदमी है, गलत इन्द्राज की जानकारी नही हो पायी थी। के. सी.सी. की फाईल बनवाने हेतु तहसील कार्यालय में दिनांक 06.04.2010 को नकल प्राप्त करते समय गलत इन्द्राज की जानकारी हुई। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त इन्द्राज दुरूस्त कराने से इन्कार होने के कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बावत् इस्तकरारहक इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर ग्राम बौल की आराजी ख0नं0 1626 / 0.33, 1627 / 0.15, 1671 / 0.13, 1672 / 0.07, 1675 / 0.18, 1676 / 0.18, 1738 / 0.16, 1739 / 0.17, 1740 / 0.19, 1743 / 0.19, 1744 / 0.31, 1746 / 0.31, 1747 / 0.32, 2184 / 0.12, 2189 / 0.10 कुल किता 15 कुल रकवा 2.91 है0 में प्रतिवादी नम्बर 1 ता 12 के

नाम गलत दर्ज खातेदारी को हजफ कर वादी नम्बर 1 को हिस्सा 1/3 का वादी नम्बर 2 को 1/3 का , वादी नम्बर 3 व 4 को हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी की मजाहमत मदाखलत ना तो स्वंय करे ना ही किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादीगण को पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी जबाव पेश नहीं करने पर प्रतिवादीगण का जबाव बन्द किया गया तथा पत्रावली साक्ष्य वादी नियत की गई।

प्रतिवादीगण की तरफ से प्रकरण संख्या 68/2009 उनवानी मुकेश बगैरहा बनाम साहबसिंह बगै0 बावत् इस्तकरारहक इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादीगण के बुजुर्ग हरिसिंह, सिया, झमोली के पिता का सही नाम जगन है लेकिन राजस्व रिकार्ड हाल जमाबंदी वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी के रिकार्ड में गलती से जगन के स्थान पर सुरज्ञान दर्ज हो गया इस भूमि के अलावा अन्य भूमी में सही नाम जगन दर्ज है। वादीगण अशिक्षित काश्तकार है अशुद्ध नाम की जानकारी नहीं हो पाई, पटवारी हल्का के पास नकल लेने दिनांक 07.07.2009 को गये तब जानकारी हुई। वादीगण तहसीलदार जी के पास नाम दुरूस्ती कराने पहुँचे, निवेदन किया तो इन्कार हो गये। दुरूस्ती का दावा पेश करने बाबत कहा। इस कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत इस्तकरारहक इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर ग्राम बौल की आराजी ख०नं० 1626/0.33, 1627/0.15, 1671/0.13, 1672/0.07, 1675/0.18, 1676/0.18, 1738/ 0.16, 1739/0.17, 1740/0.19, 1743/0.19, 1744/0.31, 1746/0.31, 1747/0.32, 2184/0.12, 2189/0.10 कुल किता 15 कुल रकवा 2.91 है० में हरिसिंह, सिया, झमोली पि० सुरज्ञान के स्थान पर हरिसिंह, सिया, झमोली पि० जगन दर्ज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 ता 6 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी मानसिंह, जगराम पि० सुरज्ञान, बलवीर, कल्याण पि० मनभान जाति गुर्जर की ओर से जरिये वकील प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा० दी० प्रस्तुत किया गया। वाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण वकील को संशोधित टाईटल प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। प्रतिवादी नम्बर 7 ता 10 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्लैम इस प्रकार प्रस्तुत किया कि आराजीयात के ग्राम बौल में स्थित होना स्वीकार है। शेष इबारत गलत होने के कारण अस्वीकार है। उक्त आराजी की पूर्व में खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 7 ता 10 के बुजुर्ग सुरज्ञान पुत्र श्रीचन्द के नाम रही है। वादीगण एवं उनके बुजुर्गों ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर स्वयं को सुरज्ञान पुत्र श्रीचन्द का वारिस बनकर खातेदारी हरिसिंह, सिया, झमोली पि० सुरज्ञान बनकर गलत रूप से करा ली है। जबकि हरिसिंह, सिया, बुद्धी, झमोली के पिता का नाम जगन था, जिसे वादीगण बदयान्ति पूर्वक उक्त आराजीयात में दुरूस्ती करवाना चाहते हैं, जबकि वादीगण का उक्त आराजीयात से कोई संबंध किसी प्रकार से नहीं हैं। ना ही वादीगण का कब्जा है। वादीगण ने अपने सजरे में बुद्धी के वारिसों का नाम दर्ज नहीं करने से सजरा स्वीकार नहीं है। जवाब के विशेष विवरण मय काउन्टर क्लैम में यह भी दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 1013 रकवा 16 विस्वा, 1034 रकवा 1 बीघा 9 विस्वा, 1052 रकवा 17 विस्वा 1066 रकवा 5 बीघा 5 विस्वा, 1201 रकवा 17 विस्वा 1006/1 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा कुल किता 6 कुल रकवा 11 बीघा 1 विस्वा प्रतिवादी नम्बर 7 के बाबा व 8/1 से 10 के बडे बाबा श्रीचन्द पुत्र कल्ला के नाम खातेदारी दर्ज रही है, जो पर्चा चकबन्दी मौजा बौल में भली भांति दर्ज है जिसके दौराने सेटिलमेन्ट में नवीन खसरा नम्बर 1156 रकवा 1 बीघा 18 विस्वा, 1163 रकवा 16 विस्वा, 1187 रकवा 1 बीघा 9 विस्वा, 1205 रकवा 17 विस्वा, 1219 रकवा 4 बीघा 13 विस्वा, 1363 रकवा 17 विस्वा कायम किये हैं जिसका इन्द्राज मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2000 से 2019 में दर्ज है। उक्त नम्बरों की चकबन्दी में वादीगण के बुजुर्गान ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर पर्चा चकबन्दी सम्वत 2000 से 2019 में प्रतिवादीगण नम्बर 7 से 10 के बुजुर्ग सुरज्ञान पुत्र श्रीचन्द के फौत होने पर जगन ने स्वयं को प्रतिवादी मानिसंह, जगराम, बलवीर, कल्याण के बाबा सुरज्ञान का पुत्र बताकर उक्त आराजीयात की खातेदारी अपने नाम गलत करवाली जबकि आराजीयात पर प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 10 का बतौर खातेदार अपने नाम गलत करवाली जबकि आराजीयात पर प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 10 का बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे हैं। तथा वादीगण अब न्यायालय के माध्यम से वादीगण के बुजुर्ग जगन द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर पर्चा चकबन्दी सम्वत 2000 से 2019 में प्रतिवादी मानसिंह, जगराम, बलवीर, कल्याण के बाबा का पुत्र बताकर उक्त आराजीयात की खातेदारी अपने नाम गलत करवाली जबकि आराजीयात पर प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 10 का बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे हैं। तथा वादीगण अब न्यायालय के माध्यम से वादीगण के बुजुर्ग जगन द्वारा राजस्व कर्मचारियों से

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

मिलकर कराई गलत खातेदारी को सही दर्ज कराने के उद्देश्य से नाम दुरूस्त का दावा लेकर आये हैं जिसकी वादीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है इसलिए दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त दोनों प्रकरणों में समान पक्षकार एवं समान आराजीयात होने के कारण दोनों प्रकरणों की एक साथ सुनवाई करने हेतु प्रकरण संख्या 54/2010 उनवानी मानसिंह बनाम साहब सिंह बगै0 को प्रकरण संख्या 68/2009 को उनवानी मुकेश बनाम सहाब सिंह के साथ दिनांक 17.03.2016 के आदेश से हमकिता किया जाकर दिनांक 26.10.2016 को निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई।

1. आया यह है कि मुतजिक्रा मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात के कानूनी वारिस वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 है।
   (जिम्मेवादीगण)(प्रकरण संख्या 68/2009के)
2. आया यह है कि हरिसिंह, सिया, झमोली के पिता का सही नाम जगन है, गलती से अशुद्ध सुरज्ञान दर्ज हो गया है। सही नाम दर्ज कराने के हकदार है।
   (जिम्मेवादीगण) (प्रकरण संख्या 68/2009 के)
3. आया यह है कि मुतजिक्रा मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी वादीगण एवं वादीगण के बुजुर्ग के नाम गलत दर्ज हो गई है। साबिक रिकार्ड में खातेदारी सुरज्ञान पुत्र श्रीचन्द के नाम थी। वादीगण व उनके बुजुर्गों ने सुरज्ञान पुत्र श्रीचन्द का वारिस बनकर गलत रूप से हरिसिंह, सिया, झमोली पि० सुरज्ञान बनकर गलत खातेदारी करा ली। जबकि इनके पिता का नाम जगन था। नाम दुरूस्त करा खातेदारी कराने का वादीगण का दावा गलत है। खारिज योग्य है।
   (जिम्मेप्रतिवादी नं० 7 ता 10 (प्रकरण संख्या 68/2009 के)
4. आया यह है कि ख०नं० 1626, 1627, 1671, 1672, 1675, 1676, 1738, 1739, 1740, 1743, 1744, 1746, 1747, 2184, 2189 कुल किता 15 कुल रकवा 2.91 है० में वादी के स्थान पर प्रतिवादी नम्बर 7 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी नम्बर 8/1 ता 8/3 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 9 व 10 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।
   (जिम्मेप्रतिवादी नं० 7 ता 10 (प्रकरण संख्या 68/2009 के)

प्रकरण संख्या 68/2009 उनवानी मुकेश बनाम साहबसिंह दिनांक 22.04.2025 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है तथा प्रकरण संख्या 54/2010 में भी प्रतिवादीगण साहब सिंह बगै0 के खिलाफ एक तरफा हो गई है जिस कारण न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 54/2010 को प्रकरण संख्या 68/2009 से पृथक कर सुनवाई हेतु नियत की गई जिसमें दौराने दावा प्रकरण संख्या 54/2010 में प्रतिवादी नम्बर 10 झमोली व प्रतिवादी नम्बर 11 कश्मीरा के स्वर्गवास हो जाने पर उनके वारिसों को तथा दौराने दावा प्रतिवादी नम्बर 1 ता

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

8 की बहिनों के नाम वादग्रस्त भूमि में खातेदारी आने से वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व आदेश 1 नियम 10 के द्वारा वादपत्र में प्रतिवादी नम्बर 13 ता 18 को जोडा गया तथा प्रकरण हाजा में वादी वकील ने वादी बलवीर का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में पेश किया जिनसे वकील प्रतिवादी ने जिरह पूर्ण की।

प्रकरण संख्या 68/2009 उनवानी मुकेश बनाम साहबसिंह दिनांक 22.04.2025 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है तथा प्रकरण संख्या 54/2010 में भी प्रतिवादीगण साहब सिंह वगै0 के खिलाफ एक तरफा हो गई है जिस कारण न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 54/2010 में प्रकरण को निर्णित करने हेतु निम्न तीन बिन्दूऐं निर्धारित किये गये ।

1. आया यह कि भूमि मुतजिक्रा मद नं0 1 वाद पत्र में वर्णित आराजी प्रतिवादीगण के बुजुर्गो के नाम गलत इन्द्राज हो गई है साबिक रिकार्ड में खातेदारी श्रीचन्द पुत्र कल्ला व सुरज्ञान पुत्र श्रीचन्द के नाम थी प्रतिवादीगण व उनके बुजुर्गो ने सुरज्ञान पुत्र श्रीचन्द का वारिस बन कर गलत रूप से हरिसिंह, झमोली, सिया पिसरान सुरज्ञान बनकर गलत खातेदारी करा ली जबकि इनके पिता का नाम जगन था अतः इसे निरस्त करा कर वादीगण भूमि मुतजिक्रा मद नं0 1 वादपत्र के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है।

2. आया भूमि मुतजिक्रा मद नं0 1 वाद पत्र में वर्णित आराजीयात की खातेदार प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 17 के नाम से हजफ कर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 17 के स्थान पर वादीगण खातेदारी कराने का अधिकारी है।

3. आया भूमि मुतजिक्रा मद नं0 1 वादपत्र वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है जिससे प्रतिवादीगण को कोई सम्बन्ध किसी प्रकार से नहीं है। इसलिए वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्त तीनो बिन्दूओं को साबित करने का भार वादीगण पर है

वकील वादीगण की एक तरफा बहस सुनी गई। वादी वकील ने बहस में कथन किया कि प्रतिवादीगण के पिता का नाम जगन है सुरज्ञान गलत है। सही बल्दियत जगन है तथा जगन के पिता का नाम जयनारायण है जबकि रिकार्ड में जगन श्रीचन्द का लडका बन गया है विवादित जमीन पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं है। जमावंदी में गलत इन्द्राज होने पर वादीगण ओर से उक्त उनवानी मुकदमा मानसिंह बनाम साहबसिंह बाबत इस्तकरारहक इन्द्राज दुरूस्ती पेश किया गया है जिसका भी प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया है। पर्चा जमावंदी में साज कर के सुरज्ञान वल्द श्रीचन्द दर्ज करा लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा कहीं भी यह स्पष्ट

उपखण्ड अधि... ...सक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

नहीं किया है कि प्रतिवादीगण के पास वादग्रस्त भूमि कहाँ से आई है। जबकि वादग्रस्त भूमि मुतजिक्रा मद नं0 1 वादपत्र. वादीगण के बुजुर्ग श्रीचन्द पुत्र कल्ला व सुरज्ञान पुत्र श्रीचन्द के नाम साबिक रिकार्ड प्रदर्श डी–1 व प्रदर्श–डी–2 में वादीगण के बुजुर्गों के नाम दर्ज है। जो मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श डी–3 व डी–4 से दर्शायी गयी साबिक रिकार्ड से साबित है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा साबिक रिकार्ड प्रदर्श डी–1 में दर्ज गलत इन्द्राज जगन बल्द सुरज्ञान के आधार पर की गई गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण के बुजुर्ग जगन द्वारा स्वयं को सुरज्ञान का पुत्र बता कर वादग्रस्त भूमि की खातेदारी लत दर्ज करवा ली गई जबकि जगन के पिता का नाम जयनारायण है जो प्रकरण संख्या 68/2009 में शामिल पंचायत के सजरे एवं मुकेश जागा के द्वारा लिखी गई पत्र से स्पष्ट है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सजरा दिया हुआ है। इसलिए वादीगण का दावा डिक्री फरमाया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।

वकील एकपक्षीय बहस सुनी जाकर मनन किया तथा दोनों पत्रावलियों में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद का तनकीवार निर्णय किया जाना है चूँकि प्रतिवादीगण का प्रकरण संख्या 68/2009 अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया है तथा प्रकरण संख्या 54/2010 में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही हो चुकी है इसलिए श्रीमान न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त तीन बिन्दूओं पर मुकदमें को निस्तारित करना उचित प्रतीत होता है।

बिन्दू संख्या :–1 जिसे वादीगण को साबित करना है जिसमें वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी साबिक रिकॉर्ड में वादीगण के बुजुर्ग सुरज्ञान पुत्र श्रीचन्द के नाम पर्चा चकबन्दी बाबत मौजा प्रदर्श डी 1 तथा पर्चा चकबन्दी मौजा बौल सम्वत 1990 प्रदर्श डी 2 जो वादीगण के बुजुर्ग श्रीचन्द पुत्र कल्ला के नाम साबिक रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी की खातेदारी दर्ज है। तथा वादीगण द्वारा मु०नं० 68/2009 में प्रस्तुत जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के मद नम्बर 6 में जो सजरा प्रस्तुत किया है उसमें सुरज्ञान के पिता का नाम श्रीचन्द दर्ज किया है तथा श्रीचन्द के पिता का नाम कल्ला दर्ज किया है। उक्त प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श डी 1 व प्रदर्श डी 2 में भी सुरज्ञान के पिता श्रीचन्द दर्ज है। जबकि मु०नं० 68/2009 के पक्षकार द्वारा अपने वाद पत्र के मद नम्बर 1 में दर्ज सजरा में स्वयं को जगन का वारिस बताया है लेकिन जगन के पिता का नाम दर्ज नहीं किया है। तथा ग्राम पंचायत बौल के सरपंच द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सजरा पत्रावली में प्रस्तुत है जिसमें मुकदमें के दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर है उसमें जगन के पिता का नाम जयनारायण दर्ज है जिसे प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार नहीं किया गया है तथा

उपखण्ड अधिकारी ... कलक्टर
टोडाभीम ...

प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण हाजा में वादग्रस्त सम्पत्ति का ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे वादग्रस्त सम्पत्ति जगन पुत्र जयनारायण की साबिक रिकॉर्ड में खातेदारी रही हो जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत सजरे में उनके बुजुर्ग कल्ला थे तथा कल्ला के एक पुत्र श्रीचन्द था तथा श्रीचन्द के एक पुत्र सुरज्ञान था तथा सुरज्ञान के तीन पुत्र मनभान, जगराम, मानसिंह थे जिसे ग्राम पंचायत बौल द्वारा सजरे से भी साबित है जिस पर दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं तथा वादग्रस्त आराजी के साबिक रिकॉर्ड प्रदर्श डी 1 व प्रदर्श डी 2 पर्चा चकबन्दी मौजा सम्वत 1990 में वादीगण के बुजुर्ग सुरज्ञान पुत्र श्रीचन्द व श्रीचन्द पुत्र कल्ला के नाम खातेदारी दर्ज है। तथा वादी द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य गवाह वादी बलवीर द्वारा यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी कभी जगन व जगन के पिता के नाम नहीं रही और प्रतिवादीगण के बुजुर्ग का नाम सुरज्ञान नहीं है बल्कि जगन है तथा उक्त गवाह से प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा की गई जिरह में भी गवाह बताता है कि कल्ला के एक पुत्र श्रीचन्द है तथा श्रीचन्द के सुरज्ञान है। सुरज्ञान के तीन पुत्र मनभान, जगराम व मानसिंह है। इस प्रकार गवाह द्वारा जिरह में यह कहीं भी नहीं बताया गया कि वादग्रस्त आराजी जगन की रही हो तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपने वाद को साबित करने व दस्तावेजों को प्रदर्श कराने बाबत किसी प्रकार की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार हमने समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्रतिवादीगण के पिता का नाम सुरज्ञान नहीं था बल्कि जगन था। तथा राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादग्रस्त भूमि जगन के पिता का नाम सुरज्ञान दर्ज कर दिया गया जबकि जगन के पिता का नाम सुरज्ञान नहीं था बल्कि जयनारायण है क्योंकि राजस्व कर्मचारियों के द्वारा की गई गलती से किसी की खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रतिवादीगण के पिता जगन के नाम वादग्रस्त आराजी की खातेदारी सहवन से जगन पुत्र सुरज्ञान दर्ज होने से,आ जाने से वादीगण के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है। इस प्रकार बिन्दू संख्या 1 बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण तय की जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा संख्या 54/2010 उनवानी मानसिंह वगै० बनाम साहबसिंह स्वीकार किये जाने योग्य है और वादीगण आराजी भूमि मुतजिक्रा मद नं0 1 वादपत्र के खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है।

बिन्दू संख्या :– 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है। मुकदमा उनवानी मुकेश बनाम साहबसिंह में वकील वादी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं काउन्टर क्लेम का प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार का कोई जवाब पेश नहीं किया ना ही अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत एवं मौखिक

साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं ना ही कोई कब्जे का साक्ष्य/सबूत पेश किया है। मुकदमा संख्या 54/2010 उनवानी मानसिंह बनाम साहबसिंह में प्रतिवादी वकील ने कोई जवाब पेश नहीं किया है। वादी वकील ने मुकदमा उनवानी मानसिंह बनाम साहबसिंह में अपने साक्ष्य में पर्चा चकबन्दी बाबत मौजा बौल तहसील घौंसला निजामत हिण्डौन राजसवाई जयपुर सम्वत 2000–2019 प्रदर्श डी 1 प्रस्तुत की है, जिसमें ख०नं० 1156 रकवा 1 बीघा 18 विस्वा, 1163 रकवा 16 विस्वा, 1187 रकवा 1 बीघा 9 विस्वा, 1205 रकवा 17 विस्वा, 1219 रकवा 4 बीघा 13 विस्वा, 1363 रकवा 17 विस्वा कुल किता 6 कुल रकवा 10 बीघा 10 विस्वा है। खातेदार के कॉलम में जगन वल्द सुरज्ञान कौम गुर्जर सा. देह और सुरज्ञान वल्द श्रीचन्द फौत दर्ज है। पर्चा चकबन्दी मौजा बौल तहसील घौंसला निजामत हिण्डौन राजसवाई जयपुर सम्वत 1990 मियाद बन्दोबस्त प्रदर्श डी 2 पेश किये हैं, जिसमें ख०नं० 1006/1 रकवा 1 बीघा 18 विस्वा 1013 रकवा 16 विस्वा, 1034 रकवा 1 बीघा 9 विस्वा, 1052 रकवा 17 विस्वा 1066 रकवा 5 बीघा 5 बिस्वा, 1201 रकवा 17 विस्वा, कुल किता 6 कुल रकवा 11 बीघा 1 विस्वा है। खातेदार के कॉलम में श्रीचन्द वल्द कल्ला कौम गुर्जर सा. देह. दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2000–2019 प्रदर्श डी पेश किये है जिसमें साबिक ख०नं० 1156, 1163, 1187, 1205, 1219, 1363, बनना प्रमाणित है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 प्रदर्श डी 4 के साबिक ख०नं० 1156 से हाल ख०नं० 1626, 1627 व साबिक ख०नं० 1163 से हाल ख०नं० 1671, 1672, साबिक ख०नं० 1187 से हाल ख०नं० 1675, 1676 साबिक ख०नं० 1230 से हाल ख०नं० 1738 साबिक ख०नं० 1219 से हाल ख०नं० 1739, 1740, 1743, 1744, 1746 साबिक ख०नं० 1363 से हाल ख०नं० 2184, 2189 बनना प्रमाणित है। नकल खतौनी बन्दोबस्त मौजा बौल तहसील टोडाभीम सम्वत 2000–2019 प्रदर्श डी 5 के अनुसार ख०नं० 1156, 1163, 1187, 1205, 1219, 1363 किता 6 रकवा 10 बीघा 10 विस्वा की खातेदारी जगन वल्द सुरज्ञान कौम गुर्जर सा. देह. के नाम दर्ज हे। एवं नकल खतौनी बन्दोबस्त मौजा बौल तहसील टोडाभीम निजामत हिण्डौन सम्वत 2000–2019 प्रदर्श डी 6 के अनुसार ख०नं० 1161 रकवा 1 बीघा 5 विस्वा की खातेदारी जगन वल्द सुरज्ञान हिस्सा पाव, कजोडी वल्द गोकल हिस्सा पाव, शिवलाल वल्द उम्मेद, हंसो वल्द डोडी, गंजे वल्द जवान सिंह हिस्सा आधा गुर्जर सा. देह. है।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं बहस में उभर कर आये तथ्यों के मद्दे नजर यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण यह स्पष्ट नहीं कर पाये हैं कि उनको जमीन किस प्रकार कहाँ से प्राप्त हुई है, जबकि वादीगण के मुकदमा उनवान मानसिंह बनाम साहबसिंह वगै० में प्रस्तुत दस्तावेजात द्वारा यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादीगण के पिता

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम

का नाम सुरज्ञान था तथा सुरज्ञान के पिता का नाम श्रीचन्द व श्रीचन्द के पिता का नाम कल्ला था। इस तथ्य की पुष्टि पत्रावली में शामिल सरपंच ग्राम पंचायत बौल के हस्ताक्षर से संलग्न सजरा से भी होती है जिसमें मनभान, जगराम, मानसिंह को सुरज्ञान का पुत्र व सुरज्ञान को श्रीचन्द का पुत्र होना बताया है। तथा बुद्धि के दो पुत्री हैं जिनका नाम कश्मीरा, पन्ना है, कब्जा होने का कोई सबूत एवं दस्तावेजी कोई सबूत प्रस्तुत नही करने से यह दावा मुकदमा उनवानी मानसिंह बनाम साहबसिंह मु०नं० 54/2010 डिक्री किया जाना उचित पाता हूँ।

आदेश

अतः मु०नं० 54/2010 उनवानी मानसिंह बनाम साहबसिंह डिक्री किया जाता है। ग्राम बौल स्थित आराजी भूमि ख०नं० 1626 रकवा 0.33है०, 1627 रकवा 0.15है०, 1671 रकवा 0.13 है०, 1672 रकवा 0.07 है०, 1675 रकवा 0.18 है०, 1676 रकवा 0.18 है०, 1738 रकवा 0.16 है०, 1739 रकवा 0.17 है०, 1740 रकवा 0.19 है०, 1743 रकवा 0.19 है०, 1744 रकवा 0.31 है०, 1746 रकवा 0.31 है०, 1747 रकवा 0.32 है०, 2184 रकवा 0.12 है०, 2189 रकवा 0.10 है० कुल किता 15 कुल रकवा 2.91 है० में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 17 के नाम दर्ज खातेदारी को हजफ करने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त आराजीयात में वादी नम्बर 1/1 से 1/4 को हिस्सा 1/3 का, वादी नम्बर 2/1 से 2/3 को हिस्सा 1/3 का एवं वादी नम्बर 3 को 1/6 हिस्से का तथा वादी नम्बर 4/1 ता 4/4 को हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत न तो स्वयं करे ना ही किंसी अन्य से करावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.1.16...... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया तथा डिक्री पर्चा अलग से जारी की जावे।

(अमन चौधरी R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली